2017/00509

| तारीख हुक्म | हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स ज़ज<br>श्री श्रीराम बांगडवा निवासी मकान नंत्र 37 स्वर्ण जयन्ति योजना सागर रोड़, बीकानेर<br>: ब ना म :<br>सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार,श्रीडूंगरगढ<br>प्रथम सूचना अपील संख्या 260/17<br>(अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई.एक्ट) | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 18.12.17 | : निर्णय :<br><br>1. अपीलार्थी हाजिर नहीं। विभागीय प्रतिनिधि की बहस सुनी गई।<br><br>2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 15.09.17 में वर्णित सूचना सहायक सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ से चाही गई थी। सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है।<br><br>3. सहायक लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ के विभागीय प्रतिनिधि ने जवाब पत्रांक 296 दिनांक 03.11.17 में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना कार्यालय के पत्र संख्या 5432 दिनांक 03.11.17 को जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवादी गई है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।<br><br>4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को प्रेषित सूचना के विपरीत अपीलार्थी की और से किसी प्रकार की आपति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है व ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह निष्कर्ष निकाला जाना उचित होगा कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी के जवाब से संतुष्ट है।<br><br>5. उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।<br><br>6. निर्णय आज दिनांक 18.12.17 को लिखाया जा कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।<br><br>(अनिल गुप्ता)<br>प्रथम सूचना अपील अधिकारी<br>एवं जिला कलक्टर, बीकानेर | |

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official